राजेश चौधरी (बि०प्र०से०)
आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243198
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक–01 / सू0अ0–23–25 / 21–22 ....

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी
–सह– आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया।
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।
वन संरक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप विकास आयुक्त, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।
नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया / कटिहार।
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।
क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, कल्याण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, सांख्यिकी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, पंचायती राज, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक खाद्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
उप मत्स्य निदेशक, पूर्णिया परिक्षेत्र, पूर्णिया।
सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।
संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया / किशनगंज।
अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति अंचल, पूर्णिया।
अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णिया।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया / फारबिसगंज / किशनगंज।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।
सहायक श्रम आयुक्त, कटिहार।
राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया।
संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

पूर्णिया, दिनांक ....

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं का प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग :– **अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11380 दिनांक 08.07.2022**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक 11380 दिनांक 08.07.2022 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में अपने कार्यालय सहित क्षेत्राधिकार अधीनस्थ कार्यालयों को समुचित क्रियान्वयन कराये जाने संबंधी निदेश देने की कृपा की जाय। कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन सीधे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

लोक सूचना पदाधिकारी
–सह– आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक .... पूर्णिया, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11380 दिनांक 08.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी
–सह– आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2302 पूर्णिया, दिनांक 23-7-22

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक/लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री श्याम मोहन दूबे, आई०टी० प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि संलग्न हार्ड कॉपी में उपलब्ध सूचनाओं को कार्यालय की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लोक सूचना पदाधिकारी
–सह– आयुक्त के सचिव,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

D:\Manoj1\Gopal ji\Letter

15

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया

–::आदेश::–

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1), 5(2) एवं बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 की कंडिका 6(1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया के लिए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्न रूप से नामित किया जाता है :–

क्र0	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	लोक सूचना पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकार
1	सभी प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया	आयुक्त के सचिव	प्रमंडलीय आयुक्त

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक........../..........दिनांक........../

प्रतिलिपिः–आप्त सचिव, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 1524 दिनांक 01-6.22

प्रतिलिपिः–आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त के आशुलिपिक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी सहायक/लिपिक/आई0टी0 प्रबंधक/आई0टी0 सहायक/ कार्यपालक सहायक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/6/22
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त कार्यालय

संचिका संख्या-21 / सू.अ.(विविध)-4 / 2021सा.प्र...11380../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 8.7.22

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं का प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं का प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन सभी लोक प्राधिकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–6279 दिनांक–01.07.2009 तथा अनुवर्ती विभिन्न स्मार पत्रों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश / आवश्यक कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं उन्हें प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभी भी ये सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि विभिन्न विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारों के अधीन सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का Third Party Audit कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं का प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन कराये जाने तथा उन सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को समुचित निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

8.7.22

(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव